

25/04/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थना
अनु०। विप्राधी सं. 1 से 4, 6 के वकील
उप०। पत्रावली का शकलबन करने से ज्ञात
होता है कि उमर 25। ए R+ Awt का है,
जो इस न्यायालय के अधीकार का नहीं होने
से उपखण्ड अधिकारी ची. ए. न. को स्थानांतरित
लिखा जाता है। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी
ची. ए. न. को भेजी जाना न्यायालय की संज्ञा
से कप्त हो।

क
अध्यायक कलकत्ता
नेको बोर्ड

